छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 4–16/2021/29 नवा रायपुर, दिनांक 25 नवंबर, 2021

प्रति,

1. **समस्त संभागायुक्त,**
छत्तीसगढ़

2. **समस्त कलेक्टर,**
छत्तीसगढ़

विषयः– खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नीति विषयक ।

खरीफ वर्ष 2021–22 में प्रदेश के किसानों से धान उपार्जन का कार्य दिनांक 01 दिसंबर, 2021 से प्रारंभ होना है । खरीफ वर्ष 2021–22 में लगभग 105 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन अनुमानित है । विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं भारत सरकार की अन्य योजनाओं तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के लिए चावल की वार्षिक आवश्यकता का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमि. द्वारा एवं सरप्लस चावल का उपार्जन भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाना है । अतः उपार्जित धान की त्वरित मिलिंग उपरांत चावल का अंतरण उपार्जन एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमि. एवं भारतीय खाद्य निगम को किया जावेगा । उपार्जित धान के त्वरित निराकरण हेतु कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

1. कस्टम मिलिंग चावल डिलीवरी –

खरीफ वर्ष 2021–22 में उपार्जित शासकीय धान की कस्टम मिलिंग के उपरांत निर्मित चावल उपार्जन एजेंसी को डिलीवरी की समयावधि दिनांक 01 दिसंबर, 2021 से 30 सितंबर, 2022 तक होगी ।

2. धान उठाव की समयावधि –

2.1 बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों (कांकेर छोड़कर) एवं कोरबा जिलें में उपार्जित होने वाले समस्त धान का कस्टम मिलिंग हेतु उठाव दिनांक 31 मार्च 2022 तक किया जावे ।

2.2 रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर संभाग के जिलों (कोरबा छोड़कर) तथा कांकेर जिले में उपार्जित तथा उपलब्ध होने वाले समस्त धान का कस्टम मिलिंग हेतु उठाव दिनांक 31 मई 2022 तक किया जावे ।

2.3 खरीदी केन्द्रो से समस्त धान का उठाव 28 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जावे ।

3. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन एजेंसी –

3.1 **सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं भारत सरकार की अन्य योजनाओं तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना हेतु राज्य के लिए आवश्यक चावल का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा । सरप्लस चावल का उपार्जन भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जावेगा । जिलेवार कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन की अनुमानित कार्ययोजना परिशिष्ट–1 पर संलग्न है ।**

3.2 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा केन्द्रीय पूल तथा राज्य पूल के लिए उपार्जित चावल के लिए पृथक–पृथक लेखा संधारित किया जाएगा।

3.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशनकार्डधारियों को अरवा चावल वितरित किया जावे । यदि जिले में पीडीएस हेतु उसना चावल की मांग आती है तो कलेक्टर के प्रस्ताव पर शासन द्वारा उसना चावल वितरित करने की अनुमति दी जा सकेगी ।

3.4 चावल की कमी वाले जिलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य शासकीय योजनाओं हेतु आवश्यक चावल की आपूर्ति आधिक्य वाले जिलों से परिवहन कराकर की जावे ।

3.5 विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत चावल उपार्जन हेतु राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आवश्यक कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जावेगी ।

3.6 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के चावल उपार्जन केन्द्रों की सूची **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है। छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उपार्जन केन्द्र प्रभारियों का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर की जानकारी विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाये ।

3.7 भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल उपार्जन केन्द्र की सूची, प्रभारियों का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर की जानकारी विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाये ।

4. **गुणवत्ता –**

4.1 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित विर्निदिष्टियों के अनुरूप सी.एम.आर. की प्राप्ति की जावेगी, जिसकी प्रति **परिशिष्ट–3** पर संलग्न है।

4.2 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन समयानुसार निर्धारित गुणवत्ता का चावल उपार्जन हेतु तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था किया जाये ।

4.3 भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल उपार्जन की मात्रा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था करने हेतु उचित कार्यवाही की जावे ।

4.4 भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप चावल के उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिया जावे।

4.5 छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उपार्जित किए जाने वाले कस्टम मिलिंग चावल की गुणवत्ता की विशेष रूप से निगरानी की व्यवस्था की जाए तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्ड का चावल प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.6 खाद्य विभाग भारत सरकार के निर्देश दिनांक 29.09.2021 में **mixed indicator method** के संबंध में दिये गये निर्देशानुसार अरवा चावल उपार्जन किये जाने के संबंध में मिलर एवं विपणन संघ के बीच निष्पादित होने वाले अनुबंध में प्रावधान विपणन संघ द्वारा किया जावे (परिशिष्ट–4)।

4.7 भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में आवश्यकतानुसार फोर्टिफाईड राईस जमा किये जाने के संबंध में अनुबंध में प्रावधान विपणन संघ द्वारा किया जावे ।

5. कस्टम मिलिंग दर –

खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 में उपार्जित एवं राज्य शासन द्वारा संधारित शासकीय धान की अरवा/उसना कस्टम मिलिंग पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित मिलिंग दर के अतिरिक्त वर्ष 2021–22 में कस्टम मिलिंग के लिए निम्नानुसार अतिरिक्त मिलिंग चार्जेस/प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए :–

मिलिंग का प्रकार	मिलर के द्वारा मिल की दो माह की मिलिंग क्षमता से कम धान की मिलिंग करने पर प्रोत्साहन राशि	मिलर के द्वारा मिल की दो माह की मिलिंग क्षमता के बराबर धान की कस्टम मिलिंग कर संपूर्ण चावल जमा करने पर जमा करने पर प्रोत्साहन राशि	मिलर के द्वारा मिल की दो माह की मिलिंग क्षमता से अधिक एवं छः माह की मिलिंग क्षमता तक धान की कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने पर प्रोत्साहन राशि	मिलर के द्वारा मिल की छः माह की मिलिंग क्षमता से अधिक धान की कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने पर जमा करने पर प्रोत्साहन राशि
अरवा मिलिंग	मिलर के द्वारा मिल की दो माह की मिलिंग क्षमता से कम धान की अरवा मिलिंग कर संपूर्ण चावल जमा करने पर कोई प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी, केवल भारत शासन द्वारा निर्धारित कस्टम मिलिंग दर प्रदाय की जायेगी । किंतु विशिष्ट परिस्थितियों में (यथा, धान उपार्जन एंजेसी द्वारा मिलिंग हेतु धान उपलब्ध न कराये जाने की अवस्था में, इत्यादि) प्रबंध संचालक मार्कफेड के द्वारा प्रकरण के पूर्ण परीक्षणोपरांत गुण दोषों के आधार पर मिलर के द्वारा मिल की गई उपरोक्त धान की मात्रा पर दो माह की मिलिंग क्षमता के बराबर धान मिल करने पर निर्धारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सकेगी ।	30 रू. प्रति क्विंटल	40 रू. प्रति क्विंटल	45 रू.प्रति क्विंटल
उसना मिलिंग	0	0	10 रू. प्रति क्विंटल	15 रू. प्रति क्विंटल

6. <u>कस्टम मिलिंग प्रकिया</u> –

खरीफ वर्ष 2021–22 में कम्प्यूटरीकृत प्रकिया के माध्यम से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा । कस्टम मिलिंग प्रकिया के कम्प्यूटीकरण का कार्य प्रबंध संचालक मार्कफेड की देखरेख में होगा । खरीफ वर्ष 2021–22 में कस्टम मिलिंग की प्रकिया निम्नानुसार होगी –

6.1 कस्टम मिलिंग हेतु मिल पंजीयन अनिवार्य रहेगा तथा मात्र पंजीकृत मिलों को ही कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति कलेक्टर द्वारा दी जाएगी । मिल पंजीयन का कार्य खाद्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन के पत्र कमांक एफ 4–16/2021/29–1/ दिनांक 23 अक्टूबर, 2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार किया जावे । ऐसी राईस मिलें जिनके संचालक द्वारा राज्य शासन के कस्टम मिलिंग निर्देशों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होता है अथवा विगत 3 वर्षो में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में दोषसिद्ध पाए गए हैं, को पंजीकृत नहीं किया जाये तथा उन्हें कस्टम मिलिंग की अनुमति नहीं दी जाये।

6.2 खरीफ वर्ष 2021–22 में कस्टम मिलिंग हेतु मार्कफेड द्वारा संचालित किसान राईस मिलों को धान प्रदाय किया जा सकेगा, किन्तु इसके लिए किसान मिल का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

6.3 पंजीकृत मिल द्वारा आवेदन (लिखित अथवा ऑनलाईन) करने पर मिल को धान कस्टम मिलिंग की अनुमति कलेक्टर द्वारा प्रदान की जाये ।

6.4 मिल की पंजीकृत मिलिंग क्षमता के आधार पर पहली अनुमति चार माह की मिलिंग क्षमता के बराबर (1 मेट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली मिल हेतु 1600 मेट्रिक टन चार माह हेतु) अनिवार्य रूप से दी जावे । मिल को एकबार में अधिकतम 6 माह तक की मिलिंग क्षमता की अनुमति दी जा सकती है।

6.5 एक मिलिंग सीजन में मिल की वार्षिक मिलिंग क्षमता तक ही अनुबंध करने की अनुमति आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी ।

6.6 अरवा मिल को मात्र अरवा कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति दी जावे । बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलो में पीडीएस में अरवा चावल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसना मिल को अरवा मिलिंग की अनुमति प्रदान की जा सकती है ।

6.7 कलेक्टर द्वारा कस्टम मिलिंग की अनुमति जारी किए जाने के पश्चात उसी दिन मिलिंग हेतु जिला विपणन अधिकारी एवं मिलर के द्वारा अनुमति की पूरी मात्रा का अनुबंध एक ही बार में निष्पादित किया जावे । मिलर्स को प्रोत्साहित किया जाए कि वे आवेदन के साथ ही अनुबंध हेतु आवश्यक स्टाम्प पेपर उपलब्ध करावें ताकि अनुबंध करने में विलंब न हो । अनुबंध होने के पश्चात अरवा अथवा उसना मिलिंग के किस्म मे परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

6.8 खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 हेतु कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंध में मिलिंग की समयावधि मिल की मिलिंग क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जावे ।

6.9 कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति धान की मात्रा का होगा। कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये गये अनुमति के विरूद्ध किये गये अनुबंध में समिति एवं संग्रहण केन्द्र संलग्नीकरण का कार्य जिला विपणन अधिकारी के द्वारा किया जायेगा । कस्टम मिलिंग हेतु किये जाने वाले अनुबंधों में धान की मात्रा का जिलेवार किस्मवार अनुपात (मोटा, पतला एवं सरना धान) कलेक्टर द्वारा निर्धारित किया जायेगा । कलेक्टर द्वारा किस्मवार अनुपात निर्धारण में विगत वर्ष में जिले में किस्मवार उपार्जित धान की मात्रा एवं जिले में उपलब्ध धान की किस्मवार मात्रा का ध्यान रखा जावे । जिला विपणन अधिकारी अनुबंध के अनुपात के आधार पर धान का डिलिवरी आर्डर जारी करेगा ।

6.10 अंतर जिला मिलिंग की स्थिति में मूल जिले का जिला विपणन अधिकारी अन्य जिले के लिये डिलीवरी आर्डर जारी कर सकेगा। मूल जिले के धान के उठाव हेतु मूल जिले के अनुपात के आधार पर डिलीवरी आर्डर जारी करेगा एवं अन्य जिले के धान के उठाव हेतु अन्य जिले के अनुपात के आधार पर डिलीवरी आर्डर जारी करेगा । जिला विपणन अधिकारी द्वारा अंतर जिला मिलिंग हेतु निकटस्थ उपार्जन केन्द्र/संग्रहण केन्द्र से धान प्रदाय किया जावे ।

6.11 जिला विपणन अधिकारी द्वारा डिलीवरी आर्डर जारी करने के पश्चात मिलर द्वारा 10 दिवस के भीतर डिलीवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा अनुसार धान उठाव करेगा । 10 दिवस तक धान उठाव नहीं करने पर धान की मिलिंग में विलंब को रोकने हेतु अनुबंध में दण्ड का प्रावधान रखा जाये। विशेष परिस्थितियों में गुण–दोष के आधार पर परीक्षण उपरांत मिलर को अर्थदण्ड में छूट प्रदान करने का कार्य प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा किया जावेगा ।

6.12 अंतर जिला परिवहन के संबंध में अन्य जिले के अनुपात के आधार पर धान का उठाव कराया जावे ।

6.13 खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 में राईस मिलर को धान शतप्रतिशत प्रतिभूति/कैश गारंटी के विरूद्ध प्रदाय किया जायेगा । राईस मिलर से अग्रिम में चावल जमा नहीं कराया जाएगा । मिलर से प्रतिभूति राशि के रूप में ली जाने वाली राशि में से रू. 1500/– की राशि बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. के रूप में ली जावे एवं शेष राशि पोस्ट डेटेड चेक के रूप में ली जावे, इस संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण विपणन संघ के द्वारा किया जावे।

6.14 राईस मिलर द्वारा कॉमन अथवा ग्रेड–ए जिस किस्म का धान का उठाव किया जाएगा, उसी किस्म का चावल जमा कराया जावे । विशेष परिस्थिति में यदि मिलर द्वारा ग्रेड–ए धान उठाव के विरूद्ध कॉमन चावल जमा कराया जाता है तो इस स्थिति में मार्कफेड द्वारा उस चावल के खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 के सी.एम.आर. मूल्य की अंतर की राशि का समायोजन/कटौती कस्टम मिलिंग व परिवहन व अन्य बिलों से की जावे । विशेष परिस्थिति का निर्धारण प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा किया जावेगा एवं औचित्य सहित सूचना शासन को दी जायेगी ।

6.15 धान के उठाव हेतु पूरा स्टेक हस्तांतरित किया जावे । किसी भी स्थिति में मिलर्स को स्टेक तोड़कर अथवा बोरों की छटाई कर धान जारी नहीं किया जावे ।

6.16 धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण किए जाने के उपरांत से मिलर को धान के प्रदाय हेतु डिलीवरी आर्डर एवं अन्य आवश्यक एकरूप अभिलेख कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं । मार्कफेड द्वारा ऐसे आवश्यक अभिलेखों को एकरूप प्रारूप में आवश्यक संख्या में मुद्रित कराकर जिलों को उपलब्ध कराया जाए ताकि यदि किसी अपरिहार्य कारण से किसी अभिलेख को मेनुअल रूप में जारी किया जाना हो तो पूरे राज्य में इसकी एकरूपता बनी रहे ।

6.17 कस्टम मिलिंग पश्चात मिलर चावल की डिलीवरी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन या भारतीय खाद्य निगम को निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र पर देंगे । छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा जिस जिले का मिलर है उसी जिले के निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र में चावल प्राप्त किया जावे । जिले के गोदाम में स्थान का अभाव होने की स्थिति में संलग्न **परिशिष्ट– 5** अनुसार अन्य जिले के निकटतम गोदाम में चावल जमा कराया जावे । परिशिष्ट में उल्लेखित जिले के अतिरिक्त यदि किसी जिले में उपरोक्तानुसार अन्य जिले के निकटतम गोदाम में चावल जमा कराये जाने की आवश्यकता यदि है, तो संबंधित जिले के कलेक्टर, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को प्रस्ताव भेजेगा । प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन उक्त प्रस्ताव पर परीक्षण कर आदेश जारी कर सकेगें एवं सूचना शासन को देंगे ।

6.18 मिलर द्वारा अनुबंधित मात्रा का मिलिंग कार्य समयानुसार करने हेतु समानुपातिक रूप से धान उठाव एवं सी.एम.आर. जमा किया जावे ।

6.19 मिलर्स से अनुबंध में मिलिंग हेतु निर्धारित अवधि में ही मिलिंग कार्य अनिवार्यतः पूरा कराया जावे । आकस्मिक परिस्थितियों में जिला विपणन अधिकारी द्वारा अनुबंध में वृद्धि हेतु प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा जावेगा, जिसमें अनुबंध में वृद्धि का कारण उल्लेखित हो । कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर गुण–दोष के आधार पर अनुबंध में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी । कलेक्टर द्वारा अधिकतम तीन माह की अवधि तक अनुबंध में वृद्धि की जा सकती है। अनुबंध में तीन माह से अधिक अवधि के वृद्धि हेतु प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को भेजा जावेगा, जिसमें अनुबंध में वृद्धि का कारण उल्लेखित हो । प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर गुण–दोष के आधार पर अनुबंध में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी । बिना युक्तियुक्त कारण के धान की मिलिंग में विलंब को रोकने हेतु अनुबंध में दण्ड का प्रावधान रखा जावे । अनुबंध अवधि की वृद्धि खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिये ही की जा सकेगी।

6.20 मिलर को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार धान की अरवा मिलिंग पर 67 प्रतिशत एवं उसना मिलिंग पर 68 प्रतिशत चावल की डिलीवरी देनी होगी ।

6.21 **पिछला अनुबंध की मिलिंग पूरी करने एवं संपूर्ण चावल जमा करने के पश्चात् ही कलेक्टर द्वारा मिलिंग हेतु नयी अनुमति दी जावे** । नयी अनुमति दिये जाने पर मिलर द्वारा नयी अनुमति अनुसार नया अनुबंध जिला विपणन अधिकारी के साथ निष्पादित करना होगा । मिल से अगला अनुबंध करते समय पिछले अनुबंध के लिए धान मिलिंग के लिए उपयोग की गई बिजली के बिल की छायाप्रति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

6.22 संग्रहण केन्द्रों से धान "प्रथम आवक प्रथम जावक" (FIFO) के आधार पर प्रदान किया जावे । उपार्जन केन्द्रों में भी धान प्रदाय करते समय यथासंभव "प्रथम आवक प्रथम जावक" (FIFO) के सिद्धांत का पालन किया जावे ।

6.23 किसी भी स्थिति में समिति स्तर से अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र से मिलर्स को धान छटनी कर प्रदाय नहीं किया जावे। मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु स्टेक का हस्तांतरण किया जावे, जिसमें 120 मेट्रिक टन अर्थात 3000 बोरे के धान का हस्तांतरण होता है ।

7. <u>बारदानों की राशि की प्राप्ति</u> –

7.1 **बारदानों की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 की धान खरीदी नीति की कंडिका 8 में उल्लेखित है, तदनुसार बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।**

7.2 भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति अनुसार मिलर द्वारा, नये जूट बारदाने में उपार्जित धान की मिलिंग पश्चात बचत नये बारदाने में चावल जमा किया जावेगा । इसके अतिरिक्त **Used Gunny Bags** में चावल उपार्जन किया जा सकेगा । **HDPE/PP बारदाने में चावल का उपार्जन करने के संबंध में पृथक से दिशा–निर्देश जारी किया जावेगा ।**

7.3 मार्कफेड ने सूचना दी है कि विपणन संघ के पास **खरीफ वर्ष 2020–21 के 483 गठान नये बारदाने उपलब्ध हैं । यदि खाद्य विभाग भारत सरकार से भारतीय खाद्य निगम में चावल उपार्जन की अनुमति प्राप्त होती है तो भारतीय खाद्य निगम में खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 के नये बारदानों** में चावल का उपार्जन किया जावेगा । मार्कफेड द्वारा उपरोक्त बारदानों के सॉफ्टवेयर में एंट्री एवं रिकार्ड संधारण हेतु समुचित व्यवस्था की जावे । खरीफ वर्ष 2020–21 के नये जूट बारदानों का शतप्रतिशत उपयोग खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 में सुनिश्चित किया जावेगा ।

7.4 संग्रहण केन्द्र/समिति में PDS के प्राप्त बोरे को मिलर को मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे, तथा मिलर के उक्त बारदाना खाली होने पर संबंधित समिति को वापस कराया जावे, वापस नहीं होने पर मिलर से पुराने बारदाने हेतु निर्धारित दर पर राशि की कटौती कर संबंधित समिति को भुगतान किया जावे।

8. <u>परिवहन व्यवस्था</u> –

8.1 समिति, संग्रहण केन्द्र से धान उठाव करने पर एवं नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने पर वास्तविक दूरी के आधार पर धान के परिवहन व्यय का भुगतान किया जावे । खाद्य विभाग भारत सरकार के पत्र कमांक 192(14)/2018-FC A/cs दिनांक 06.05.2019 **(परिशिष्ट–6)** में उल्लेखित राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से धान/सी.एम.आर. का परिवहन दर का निर्धारण किया जावेगा । भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने पर परिवहन व्यय का भुगतान भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियमानुसार किया जायेगा ।

8.2 **लोडिंग अनलोडिंग चार्ज के संबंध में गत खरीफ विपणन वर्ष 2020–21 में विभागीय पत्र कमांक एफ 4–23/2020/29–1/पार्ट–1 दिनांक 02.07.2021 में निम्नानुसार परिवर्तन अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 के लिए प्रावधान किया जावे :–**

1. **मंडी लेबर चार्ज में उपार्जन केन्द्रों से धान लोडिंग कर प्रदाय किए जाने का मद शामिल है, अतएव उपार्जनकर्ता समिति द्वारा उपार्जन केन्द्रों से मिलर/परिवहनकर्ता को धान लोडिंग कर प्रदान किया जाए ।**
2. **उपार्जनकर्ता समिति द्वारा मिलर/परिवहनकर्ता को धान लोडकर प्रदाय नहीं किए जाने की स्थिति में मंडी लेबर चार्ज को अधिसूचित दरों में तय की गई लोडिंग की राशि मिलर/परिवहनकर्ता को भुगतान किया जाए ।**
3. **संग्रहण केन्द्र से मिलर द्वारा धान उठाव करने पर लोडिंग की राशि परिवहन व्यय में से कटौती की जावे एवं अनलोडिंग की राशि प्रदाय की जावे। जिन संग्रहण केन्द्रों में हमाली हेतु विगत वर्ष की निविदा के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त कार्य कराया जा रहा है, वहॉ हमाली ठेकेदार द्वारा लोडिंग का कार्य विगत वर्ष के अनुसार ही न किया जाकर मिलर द्वारा कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोडिंग हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी एवं परिवहन मद की संपूर्ण राशि देय होगी ।"**

8.3 समितियों से सीधे मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए धान प्रदाय हेतु प्रत्येक समिति से मिल की दूरी इस प्रकार तय करें कि न्यूनतम परिवहन व्यय के साथ ही परिवहन करने में कम समय लगे । जिले की सीमावर्ती समितियों से यदि जिले के भीतर की मिलों की दूरी अधिक हो और सीमावर्ती जिले में कम दूरी पर मिलें उपलब्ध हों तो, न्यूनतम व्यय अनुसार अनुबंध किया जाए । जिले में उपलब्ध पंजीकृत राईस मिलों की मिलिंग क्षमता के आधार पर वहां भण्डारित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य कराया जाए ।

8.4 संग्रहण केन्द्र से कस्टम मिलर्स को धान इस प्रकार दिया जावे कि परिवहन व्यय न्यूनतम हो । संग्रहण केन्द्र से मिलों की दूरी का निर्धारण जिला विपणन अधिकारी द्वारा प्रबंध संचालक मार्कफेड के पर्यवेक्षण में किया जावेगा । मिलर्स के नजदीक जो संग्रहण केन्द्र है प्रथमतः उन केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति दी जावे । नजदीक के संग्रहण केन्द्रों का धान समाप्त होने

पर अगले नजदीक के संग्रहण केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु धान दी जावे । विशेष परिस्थिति में मिलर को नजदीक के संग्रहण केन्द्र के अतिरिक्त एक अन्य संग्रहण केन्द्र से धान प्रदाय किया जा सकता है । विशेष परिस्थिति का निर्धारण प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा किया जायेगा एवं इसकी औचित्य की सूचना शासन को दी जायेगी ।

8.5 मिलर द्वारा संग्रहण केन्द्रों से धान उठाव करने पर धरमकांटा में तौल का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा ।

9. <u>समितियों से धान का सीधे उठाव</u> –

9.1 विगत वर्ष की भांति उपार्जन केन्द्रों से सीधे मिलर्स को अधिक से अधिक धान मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे जिससे भण्डारण, परिवहन एवं सूखत आदि मदों में मितव्ययता सुनिश्चित हो सके । समितियों में उपार्जित धान को सीधे कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को देने की निम्नानुसार व्यवस्था की जावे –

9.1.1 पंजीकृत चावल मिलों को सबसे नजदीक की सहकारी समितियों से संबद्ध किया जावे । विशेष परिस्थिति में मिलर को नजदीक के खरीदी केन्द्र के अतिरिक्त अन्य खरीदी केन्द्र से धान प्रदाय किया जा सकता है । विशेष परिस्थिति का निर्धारण प्रबंध संचालक मार्कफेड अथवा कलेक्टर के द्वारा किया जायेगा एवं इसकी औचित्य की सूचना शासन को दी जायेगी ।

9.1.2 मिलों का समितियों से संबद्धीकरण, समितियों की मिलों से दूरी, समितियों में उपार्जित धान की मात्रा एवं मिल की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए जिला विपणन अधिकारी द्वारा प्रबंध संचालक मार्कफेड के पर्यवेक्षण में किया जाए । किसी समिति को एक या अधिक मिल से तथा किसी मिल को एक या अधिक समिति से संबद्ध किया जा सकेगा । इस हेतु मिल की मिलिंग क्षमता तथा परिवहन पर होने वाले व्यय इत्यादि को ध्यान में रखा जाए ।

9.2 अनुबंध अनुसार धान की मात्रा संबद्ध समितियों से उपार्जित धान में से मिल को दी जावे । मिलर जिला विपणन अधिकारी से प्रथमतः डिलीवरी आर्डर प्राप्त करें उसके बाद सहकारी समिति स्तर पर स्कंध प्राप्त करेंगे । समितियां किसी भी स्थिति में बिना डिलीवरी आर्डर के और डिलीवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान मिलर को प्रदाय नहीं करेंगी । बिना डिलीवरी आर्डर के अथवा डिलीवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान समितियों से उठाने वाले मिलर्स को तत्काल उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जावे । इसके अतिरिक्त बिना डिलीवरी आर्डर के अथवा डिलीवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान मिलरों को

देने वाली समितियों के कर्मचारियों के विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही एवं अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जाए।

9.3 जिला विपणन अधिकारी डिलीवरी आर्डर कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से जारी करेंगे तथा इसमें प्रदाय किए जाने वाले धान की प्रतिभूति का पूरा विवरण होगा । डिलीवरी आर्डर की एक प्रति मिलर को दी जाएगी । डिलीवरी आर्डर की इलेक्ट्रानिक प्रति सर्व संबंधितों को तत्काल इंटरनेट पर भी उपलब्ध हो जाएगी । डिलीवरी आर्डर की इलेक्ट्रानिक प्रति ऑफ लाईन खरीदी वाले खरीदी केन्द्रों हेतु खरीदी केन्द्र तक पहुंचाने का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा नियुक्त मोटर साईकिल रनर्स द्वारा किया जाएगा ।

9.4 मिलर का प्रतिनिधि जब समिति अथवा संग्रहण केन्द्र पर धान उठाने के लिए पहुंचेगा, तब समिति/संग्रहण केन्द्र के कम्प्यूटर में मिलर द्वारा लाए गए डिलीवरी आर्डर का क्रमांक भर कर उसकी इलेक्ट्रानिक प्रति से मिलान किया जाएगा । यह मिलान हो जाने पर ही मिलर को धान दिया जाएगा। मिल के पंजीयन के समय मिलर के प्रतिनिधियों के फोटो, आधार नंबर एवं हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाएंगे जो समितियों एवं संग्रहण केन्द्रों के कम्प्यूटरों में उपलब्ध रहेंगे । समितियों एवं संग्रहण केन्द्रों में धान के उठाव के समय इनका मिलान भी किया जाएगा । मिलर द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्राप्त कर ही धान समिति/ संग्रहण केन्द्र से प्रदाय किया जाये । प्रबंध संचालक मार्कफेड इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ।

9.5 सहकारी समिति द्वारा कस्टम मिलर को धान प्रदाय कर दिए जाने के उपरांत स्कंध में कोई कमी आने पर मिलर की जिम्मेदारी होगी । धान के उठाव के समय मिलर या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा धान की पावती समिति प्रबंधक को तत्काल दी जावेगी ।

9.6 धान उपार्जन हेतु गठित संग्रहण केन्द्र स्तरीय समिति व उपार्जन केन्द्रों हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी को निर्देश जारी करें कि वे प्रत्येक समिति से कस्टम मिलर्स द्वारा उठाए गए धान की प्रतिदिन समीक्षा करें तथा उपार्जन केन्द्रों में नियमित रूप से धान का भौतिक सत्यापन करें । **यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी परिस्थिति में मिलर द्वारा समिति से उठाव किए गए धान का पुनर्चक्रण (Recycling) संभव न हो ।**

9.7 **खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव हेतु एवं दोहरे परिवहन व्यय को रोकने हेतु अधिकाधिक मात्रा में धान सीधे मिलर्स को प्रदाय किया जाये ।** नई बारदाना नीति एवं धान के त्वरित निराकरण के दृष्टिकोण से मूल जिले/आधिक्य मिलिंग क्षमता वाले जिलों के मिलर से पुराने जिले या कम मिलिंग क्षमता वाले जिले के धान के त्वरित निराकरण करने हेतु धान खरीदी के प्रारंभ से ही संलग्न किया जावे । इस संबंध में जिलो का संलग्नीकरण **परिशिष्ट–1** में दर्शित अनुसार किया जावे । धान के निराकरण की अवधि के दौरान परिस्थिति अनुसार प्रस्तावित संलग्नीकरण प्लान में परिर्वतन किया जा सकता है। खरीदी केन्द्र से अन्य संलग्न जिले के मिलर्स द्वारा मिलिंग हेतु सीधे धान उठाव की अनुमानित कार्ययोजना **परिशिष्ट–1** में दर्शित है ।

10. **कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति** –

10.1 कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम के कस्टम मिल्ड चावल उपार्जन केन्द्रों पर की जाएगी । कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति किस चावल उपार्जन केन्द्र पर की जाना है, इसका स्पष्ट उल्लेख अनुबंध में होगा । कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति उसी जिले के चावल उपार्जन केन्द्र में की जाएगी जिस जिले में मिल स्थित है ।

10.2 कस्टम मिल्ड चावल मिलर द्वारा लाए जाने पर चावल उपार्जन केन्द्र में इंटरनेट पर उपलब्ध अनुबंध की इलेक्ट्रानिक प्रति से मिलान किया जाएगा, और उसी स्थिति में चावल स्वीकार किया जाएगा जब अनुबंध में चावल उस उपार्जन केन्द्र में जमा कराना दर्शाया गया हो ।

10.3 मिलर द्वारा चावल लाये जाने पर सेम्पल लेने, सेम्पल पर्ची बनाने, सेम्पल का विश्लेषण करने तथा चावल प्राप्त करने का पूरा कार्य कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा तथा इसी साफ्टवेयर से चावल की अभिस्वीकृति जारी की जाएगी । अभिस्वीकृति की एक प्रति प्रिंट करके मिलर को दी जाएगी ।

10.4 भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध चावल के शीघ्र रैक मूव्हमेंट कराने की कार्यवाही की जावे।

11. **अन्य आवश्यक कार्यवाही** –

11.1 खरीफ वर्ष 2021–22 के लिए धान उपार्जन की प्रक्रिया के साथ–साथ समस्त संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीति की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराने हेतु मार्कफेड द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करने की व्यवस्था की जाये ताकि जानकारी के अभाव में धान की कस्टम मिलिंग में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो ।

11.2 जिले में राईस मिल एसोसिएशन से उपार्जित होने वाले धान की त्वरित कस्टम मिलिंग हेतु बैठक आयोजित कर चर्चा कर ली जावे । मिलिंग हेतु यथाशीघ्र मिलर से आवेदन प्राप्त कर अग्रिम अनुमति जारी कर मिलिंग हेतु अनुबंध कर लिया जावे । मिलिंग हेतु अग्रिम अनुबंध किए जाने के साथ–साथ मिलर्स से चर्चा कर उन्हें अधिकाधिक मात्रा में समितियों से सीधे धान उठाव हेतु प्रोत्साहित किया जावे । मिलर द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु समितियों से सीधे धान उठाव की जिलेवार कार्ययोजना **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है ।

11.3 जिले में संचालित राईस मिलों की मिलिंग क्षमता के आधार पर प्रतिमाह मिलिंग हेतु धान के उठाव एवं चावल जमा की अनुमानित कार्ययोजना तैयार कर ली जावे एवं तदनुसार अनुमति, अनुबंध एवं धान के निराकरण की कार्यवाही की जावे।

11.4 राज्य भण्डार गृह निगम के द्वारा चावल उपार्जन एजेंसी को चावल जमा करने हेतु आवश्यकतानुसार गोदाम उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी । राज्य भण्डार गृह निगम द्वारा जमा चावल के वैज्ञानिक भण्डारण की व्यवस्था की जायेगी ताकि भण्डारण हानि न्यूनतम रहे तथा केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत सीमा से अधिक न हो ।

11.5 मार्कफेड द्वारा संग्रहण केन्द्रों से मिलर को कस्टम मिलिंग हेतु समयानुसार धान प्रदाय करने हेतु आवश्यकतानुसार श्रमिको की व्यवस्था की जावे । चावल उपार्जन एजेंसी द्वारा मिलर से कस्टम मिलिंग चावल समयानुसार जमा कराने हेतु आवश्यकतानुसार श्रमिको की व्यवस्था की जावे ।

11.6 जिले में सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक द्वारा अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिलों से अनुबंध अनुसार समयानुसार मिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ।

11.7 कस्टम मिलिंग से संबंधित साफ्टवेयर में खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, कलेक्टर, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा राज्य शासन, सभी के लिए मानिटरिंग माड्यूल है । सभी स्तरों पर इसका उपयोग करके प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए एवं साथ ही सभी आवश्यक रिपोर्ट भी प्रतिदिन तैयार किया जाए ।

कृपया कस्टम मिलिंग से संबंधित उपरोक्त निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सर्व संबंधितों को अविलंब निर्देशित करें तथा विभाग के सभी निर्देशों का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करें । इन निर्देशों से अपने जिले के राईस मिल एसोसियेशन के पदाधिकारियों को भी अवगत करायें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

25/11/2021

(टोपेश्वर वर्मा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग
नवा रायपुर, दिनांक 25 नवंबर, 2021

क्रमांक एफ 4–16/2021/29

प्रतिलिपि –

01. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
02. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
03. विशेष सहायक, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
04. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
05. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
06. अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, भारतीय खाद्य निगम 16–20 बारह खम्बा लेन, नई दिल्ली ।
07. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
08. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
09. संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
10. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, नवा रायपुर अटल नगर ।

11. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, नवा रायपुर अटल नगर ।
12. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम, नवा रायपुर अटल नगर ।
13. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नवा रायपुर अटल नगर ।
14. संचालक, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर की ओर प्रकाशनार्थ ।
15. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
16. परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
17. डिविजनल रेल्वे मैनेजर, साऊथ ईस्ट सेंट्रल रेल्वे, भनपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
18. डिविजनल रेल्वे मैनेजर, साऊथ ईस्ट सेंट्रल रेल्वे, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
19. डिविजनल रेल्वे मैनेजर, साऊथ ईस्ट सेंट्रल रेल्वे, नागपुर, महाराष्ट्र।
20. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्या., नवा रायपुर अटल नगर ।
21. टेक्नीकल डॉयरेक्टर, एन.आई.सी. मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर । उपरोक्तानुसार साफ्टवेयर तैयार करने हेतु प्रेषित ।
22. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
23. समस्त जिला विपणन अधिकारी, मार्कफेड, छत्तीसगढ़ ।
24. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश, राईस मिल एसोसिएशन, रायपुर ।

25/11/2021

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

परिशिष्ट-1

खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 में धान उपार्जन एवं निराकरण की कार्ययोजना

(मात्रा मे.टन में)

क्र.	जिला	खरीफ विपणन वर्ष 2021–22 में अनुमानित धान उपार्जन	मिलर द्वारा समिति से सीधे उठाव				संग्रहण केन्द्रों में भण्डारण			अन्य जिले एवं स्वयं के जिले से संग्रहण केन्द्र में प्राप्त कुल धान	नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा का लक्ष्य	भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा का लक्ष्य
			स्वयं के जिले के समिति से मिलर द्वारा उठाव	अन्य जिले के मिलर		समिति से मिलर द्वारा कुल उठाव	स्वयं के जिले के संग्रहण केन्द्र मे	अन्य जिले के संग्रहण केन्द्र में				
			मात्रा	जिले का नाम	मात्रा		मात्रा	जिले का नाम	मात्रा			
1	बस्तर	162744	75000	0	0	75000	87744			167495	102058	85922
2	बीजापुर	68784	4430	0	0	4430	0	बस्तर	64354	0	2968	0
3	दन्तेवाड़ा	18606	3210	0	0	3210	0		15397	0	2150	0
4	कांकेर	338327	110000	धमतरी	70000	180000	108327		50000	108327	79575	66704
5	कोंडागांव	163697	70000	0	0	70000	93697		0	93697	52358	57319
6	नारायणपुर	22300	10800	0	0	10800	11500		0	11500	11263	3678
7	सुकमा	43917	14400	0	0	14400	29517		0	29517	22928	6496
8	बिलासपुर	514753	270000	0	0	270000	244753		0	277061	175260	211371
9	गौरेलापेन्ड्रा मरवाही	85469	72341	0	0	72341	13128		0	13128	36595	20669
10	जांजगीरचाम्पा	910973	550000	कोरबा	50000	600000	310973		0	310973	159103	417749
11	कोरबा	154344	154344	0	0	154344	0		0	0	92485	44426
12	मुंगेली	412308	150000	बिलासपुर	30000	180000	50000	रायपुर– 150000 बिलासपुर– 32308	182308	50000	71788	62212
13	रायगढ़	608735	370000	0	0	370000	238735		0	238735	132770	275083
14	बालोद	595278	220000	धमतरी	50000	270000	275278	धमतरी	50000	275278	75842	255994
15	बेमेतरा	670534	150000	दुर्ग	50000	200000	50000	दुर्ग	420534	50000	92288	41712
16	दुर्ग	464784	430000	0	0	430000	34784		0	515318	148146	538817
17	कवर्धा	448949	170000	0	0	170000	165479	दुर्ग– 60000, रायपुर– 53470	113470	165479	77903	146868
18	राजनांदगांव	867834	330000	दुर्ग	30000	360000	507834		0	507834	141178	420171
19	बलौदाबाजार	763799	240000	रायपुर	50000	290000	100000	रायपुर	373799	100000	141980	85820
20	धमतरी	488062	488062	0	0	488062	0			100000	77722	430179
21	गरियाबंद	369210	150000	धमतरी	30000	180000	189210			189210	56953	170318
22	महासमुंद	856778	420000	धमतरी	20000	440000	416778			416778	97832	462810
23	रायपुर	574738	574738	0	0	574738	0			577269	194631	610714
24	बलरामपुर	178351	120000	0	0	120000	58351	0		58351	78343	41152
25	जशपुर	133404	133404	0	0	133404	0	0		0	78372	11009
26	कोरिया	135955	135955	0	0	135955	0	0		0	57787	33303
27	सरगुजा	206645	110000	0	0	110000	96645	0		96645	81507	56945
28	सूरजपुर	240649	130000	0	0	130000	110649	0		110649	65342	95893
	योग	10499930	5656685	0	380000	6036685	3193384	0	1269861	4463245	2407127	4653333

टीप– 1. उपरोक्त कार्ययोजना में परिस्थिति अनुसार प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा। जिसकी सूचना शासन को दी जावेगी।
2. बस्तर जिले के मिलर द्वारा नान के लक्ष्य अंतर्गत स्वयं के जिले से धान उठाव कर 8850 मे.टन चावल बीजापुर में तथा 18659 मे.टन चावल दंतेवाड़ा में जमा किया जाएगा।

महाप्रबंधक (विप.)

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट-2

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि.,जिला कार्यालय -सभी जिला

– CMR उपार्जन केन्द्र की सूचि

क्र.	जिला	क्र.		उपार्जन केन्द्र
1	बस्तर	1	1	जगदलपुर
		2	2	करपावंड़
		3	3	बस्तर(घाट लोहंगा)
		4	4	केशलुर
		5	5	गीदम
2	बीजापुर	6	1	बीजापुर
		7	2	भैरमगढ़
		8	3	भोपालपट्टनम
3	दन्तेवाड़ा	9	1	गीदम
		10	2	दन्तेवाड़ा
		11	3	कुआकोण्डा
4	कांकेर	12	1	कांकेर
		13	2	चारामा
		14	3	भानुप्रतापपुर
		15	4	नरहरपुर
		16	5	अंतागढ़
		17	6	पखाजुर
		18	7	जुनवानी
		19	8	माकडी
		20	9	करप
5	कोंडागांव	21	1	कोंडागांव
		22	2	केशकाल
		23	3	बड़ेडोगर
6	नारायणपुर	24	1	नारायणपुर
7	सुकमा	25	1	दोरनापाल
		26	2	कोंटा
		27	3	सुकमा
8	बिलासपुर	28	1	लिगिंयाडीह
		29	2	तिफरा
		30	3	देवरीखुर्द
		31	4	करगीरोड
		32	5	बिल्हा
		33	6	तखतपुर
		34	7	जयराम नगर
		35	8	सेंदा

क्र.	जिला	क्र.		उपार्जन केन्द्र
9	गौरेला पेन्ड्रा मरवाही	36	1	पेन्ड्रारोड
		37	2	मरवाही
10	जांजगीर-चाम्पा	38	1	अकलतरा
		39	2	चन्द्रपुर
		40	3	चांपा
		41	4	नैला
		42	5	बाराद्वार
		43	6	सक्ती
		44	7	डबरा
		45	8	CWC खरसिया (Janjgir)
		46	9	बोडासागर
11	कोरबा	47	1	कोरबा
		48	2	कटघोरा
		49	3	पाली
		50	4	SWC-अकलतरा
12	मुंगेली	51	1	मुंगेली
		52	2	लोरमी
		53	3	सरगांव
		54	4	बरेला
		55	5	धपई
		56	6	गितपुरी
13	रायगढ़	57	1	SWC धर्मजयगढ़
		58	2	SWC खरिसया
		59	3	SWC सारंगढ़
		60	4	SWC लोहरसिग
		61	5	रायगढ़ CWC-1
		62	6	रायगढ़ CWC-2
		63	7	SWC लैलूंगा
		64	8	रायगढ़ किरोडीमल नगर
		65	9	CWC खरिसया
		66	10	SWC बरमकेला
		67	11	SWC घरघोड़ा
		68	12	SWC लोहरसिग 2(RGH)
14	बालोद	69	1	बालोद
		70	2	गुण्डरदेही
		71	3	डौंडीलोहारा
		72	4	डोण्डी
		73	5	चिटोद

	जिला	क्र.		उपार्जन केन्द्र
15	बेमेतरा	74	1	बेमेतरा
		75	2	साजा (Durg)
		76	3	बुईनाभाठा
		77	4	थानखमरिया
		78	5	थानखमरिया
		79	6	बेरला-SWC (Rampurbhar)
16	दुर्ग	80	1	हथखोज
		81	2	बोरई
		82	3	SWC-दुर्ग
		83	4	कोड़िया
		84	5	SWC- धमधा
		85	6	करंजा भिलाई
17	कवर्धा	86	1	SWC कवर्धा
		87	2	बोड़ला
		88	3	पंडरिया
		89	4	हथलेवा (चारभाठा)
18	राजनांदगांव	90	1	मोहला
		91	2	बसंतपुर
		92	3	खैरागढ़
		93	4	डोंगरगढ़
		94	5	छुरिया
		95	6	चौकी
		96	7	मानपुर
		97	8	तिलई
		98	9	डोंगरगांव -SWC
19	बलौदा बाजार	99	1	भाटापारा CWC-1
		100	2	भाटापारा CWC-2
		101	3	बलौदाबाजार
		102	4	बिलाईगढ़
		103	5	कसडोल
		104	6	अर्जुनी-SWC
		105	7	हथबंद
20	धमतरी	106	1	धमतरी
		107	2	चिटौद
		108	3	कुरूद
		109	4	सिहावा
		110	5	CWC धमतरा (Soram)
21	गरियाबंद	111	1	गरियाबंन्द
		112	2	राजिम
		113	3	देवभोग
		114	4	मैनपुर
		115	5	राजिम (Fhingeswar)

	जिला	क्र.		उपार्जन केन्द्र
22	महासमुंद	116	1	महासमुंद
		117	2	पिथौरा
		118	3	बसना
		119	4	सरायपाली
		120	5	बागबाहरा
		121	6	DB- महासमुंद
23	रायपुर	122	1	गुढियारी
		123	2	रायपुर CWC-1
		124	3	रायपुर CWC-2
		125	4	रायपुरCWC-3
		126	5	नेवरा
		127	6	अभनपुर
		128	7	खरोरा
		129	8	मंदिरहसौद
		130	9	रायपुरCWC-4
		131	10	आरंग
		132	11	धरसींवा
		133	12	नयापारा (Raipur)
		134	13	हथबंद -Raipur
24	बलरामपुर	135	1	लटोरी
		136	2	विश्रामपुर -R.B. Godown
		137	3	रामानुजगंज
		138	4	कुसमी
		139	5	वाड्रफनगर
		140	6	राजपुर
25	जशपुर	141	1	जशपुर
		142	2	कुनकुरी
		143	3	पत्थलगांव
		144	4	बगीचा
		145	5	फरसाबहार
26	कोरिया	146	1	बैकुंठपुर
		147	2	मनेन्द्रगढ़
		148	3	चिरमिरी
		149	4	जनकपुर
27	सरगुजा	150	1	अंबिकापुर
		151	2	सीतापुर
		152	3	लखनपुर (Udaypur)
		153	4	पत्थलगांव (Simhar)
		154	5	विश्रामपुर (Sarguja)
28	सुरजपूर	155	1	सूरजपुर
		156	2	विश्रामपुर
		157	3	प्रतापपुर

छ. ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड , मुख्यालय

— 126 प्रदाय केन्द्रों की सूंचे

क्र.	जिला	क्र.	प्रदाय केन्द्र
1	बस्तर	1	करपावंड़
		2	जगदलपुर
		3	बस्तर(घाट लोहंगा)
		4	केशलुर
2	बीजापुर	5	बीजापुर
		6	भोपालपट्टनम
		7	भैरमगढ़
		8	उसुर(आवापल्ली)
3	दन्तेवाड़ा	9	गीदम
		10	दन्तेवाड़ा
		11	कुआकोण्डा
4	कांकेर	12	अंतागढ़
		13	आमाबेड़ा
		14	कांकेर
		15	चारामा
		16	नरहरपुर
		17	पखांजुर
		18	भानुप्रतापपुर
5	कोंडागांव	19	केशकाल
		20	कोंडागांव
		21	बड़ेडोंगर
		22	माकड़ी
6	नारायणपुर	23	नारायणपुर
7	सुकमा	24	कोंटा
		25	सुकमा
		26	दोरनापाल
8	बिलासपुर	27	करगीरोड
		28	तखतपुर
		29	बिल्हा
		30	बिलासपुर
		31	जयराम नगर
		32	सेंदा
9	गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही	33	पेन्ड्रारोड
		34	मरवाही
10	जांजगीर-चाम्पा	35	अकलतरा
		36	चांपा
		37	डबरा
		38	नैला
		39	बाराद्वार
		40	सक्ती
		41	चन्द्रपुर
		42	बोडासागर
11	कोरबा	43	कटघोरा
		44	कोरबा
		45	पाली
		46	SWC-अकलतरा
12	मुंगेली	47	मुंगेली
		48	लोरमी
		49	गितपुरी
13	रायगढ़	50	खरसिया
		51	घरघोड़ा
		52	धर्मजयगढ़
		53	बरमकेला
		54	रायगढ़
		55	सारंगढ़
		56	लैलूंगा
14	बालोद	57	डोंडीलोहारा
		58	डोण्डी
		59	बालोद
		60	गुण्डरदेही
		61	चिटोद
15	बेमेतरा	62	बेमेतरा
		63	साजा
		64	बेरला

क्र.	जिला	क्र.	प्रदाय केन्द्र
16	दुर्ग	65	दुर्ग
		66	पाटन
		67	हथखोज
		68	बोरई
		69	कोंडिया
17	कवर्धा	70	कवर्धा
		71	पंडरिया
		72	बोड़ुला
		73	हथलेवा(चारभाठा)
18	राजनांदगांव	74	खैरागढ़
		75	डोंगरगढ़
		76	मानपुर
		77	मोहला
		78	राजनांदगांव
		79	छुरिया
		80	चौकी
		81	तिलई
		82	डोंगरगांव
19	बोदा बाजार-भाटापारा	83	कसडोल
		84	बलौदाबाजार
		85	बिलाईगढ़
		86	भाटापारा
		87	अर्जुनी
20	धमतरी	88	कुरूद
		89	धमतरी
		90	नगरी-सिहावा
21	गरियाबंद	91	गरियाबंद
		92	देवभोग
		93	राजिम
		94	मैनपुर
22	महासमुंद	95	पिथौरा
		96	बसना
		97	बागबाहरा
		98	महासमुंद
		99	सरायपाली
23	रायपुर	100	अभनपुर
		101	आरंग
		102	खरोरा
		103	धरसींवा
		104	नेवरा
		105	रायपुर
		106	नयापारा(रायपुर)
24	बलरामपुर	107	लटोरी
		108	कुसमी
		109	रामानुजगंज
		110	वाड्रफनगर
		111	राजपुर
25	जशपुर	112	कुनकुरी
		113	जशपुर
		114	पत्थलगांव
		115	बगीचा
		116	फरसाबहार
26	कोरिया	117	चिरमिरी
		118	जनकपुर
		119	बैकुंठपुर
		120	मनेन्द्रगढ़
27	सरगुजा	121	अंबिकापुर
		122	सीतापुर
		123	लखनपुर
28	सूरजपुर	124	विश्रामपुर
		125	सूरजपुर
		126	प्रतापपुर

परिशिष्ट-3

MOST URGENT
BY EMAIL

No.8-4/2021-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
******

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 20th.09.2021

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of.....
(All State Governments/UT Administrations)

Sub: **Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for Kharif Marketing Season (KMS) 2021-22 for central pool procurement-reg.**

Sir,

This is in reference to the subject cited above and to say that it has been decided that the Uniform Specifications for paddy, rice and coarse grains for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season 2021-22 shall remain the same as conveyed for the Kharif Marketing Season 2020-21 vide this Ministry's letter No.8-4/2020-S&I dated 28.09.2020 and continue to be applicable unless otherwise communicated by Government of India. A copy of Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2020-21 is enclosed for ready reference.

2. It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice and coarse grains during KMS 2021-22 may be ensured by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the uniform specifications.

3. Further, standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and Other Welfare Schemes based on the uniform specifications of rice for KMS 2021-22 are also enclosed.

4. Receipt of this communication may please be acknowledged.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Encl: as above

Yours faithfully

(Dr. Preeti Shukla)
Assistant Director
Tele # 23384784

1663
20/09 2021

SS (F)

22/9

PS
Pl. put up

24/9/21

Copy to: -

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial)/Executive Director (QC), FCI HQ, New Delhi.
3. General Manager (QC)/GM (Marketing & Procurement), FCI, HQ, New Delhi.
4. All Executive Director (Zones), FCI.
5. Managing Director, CWC, New Delhi.
6. The Secretary, Department of Agri. & Coop, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCI)/JS (Impex, SRA & EOP) / JS (Stg.)/JS (BP&PD).
8. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/Director (Finance)/DC (S&R).
9. All QCC/IGMRI offices.
10. US (Py. I, II, III, IV)/US (FC A/c).
11. AD (S&I)/AD (QC)/AD (Lab).
12. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

20/09/2021.

(Dr. Preeti Shukla)
Assistant Director

Via Email

No.8-4/2020-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
******

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 28.09.2020

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of.....
(All State Governments/UT Administrations)

Sub: Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for Kharif Marketing Season 2020-21 for central pool procurement-reg.

Sir,

I am directed to forward herewith the uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for procurement under Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2020-21.

It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice and coarse grains during KMS 2020-21 may be ensured by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the uniform specifications.

Further, standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS and Other Welfare Schemes based on the uniform specifications of rice for KMS 2020-21 are also enclosed.

Encl: As above.

Yours faithfully,

28/9/2020

(Vishwajeet Haldar)
Deputy Commissioner (S&R)
Tele # 23384784

Copy to: -

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial)/Executive Director (QC), FCI HQ, New Delhi.
3. General Manager (QC)/GM (Marketing & Procurement), FCI, HQ, New Delhi.
4. All Executive Director (Zones), FCI.
5. Managing Director, CWC, New Delhi.
6. The Secretary, Department of Agri. & Coop, Krishi Bhawan, New Delhi.
7. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCI)/JS (Impex, SRA & EOP) / JS (Stg.)/JS (BP&PD).
8. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/Director (Finance)/DC (S&R).
9. All QCC/IGMRI offices.
10. US (Py. I, II, III, IV)/US (FC A/c).
11. AD (S&I)/AD (QC)/AD (Lab).
12. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

UNIFORM SPECIFICATION OF ALL VARIETIES OF PADDY
(KHARIF MARKETING SEASON 2020-2021)

Paddy shall be in sound merchantable condition, dry, clean, wholesome of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, *Argemone mexicana, Lathyrus sativus* (Khesari) and admixture of deleterious substances.

Paddy will be classified into Grade 'A' and 'Common' groups.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions	Maximum Limit (%)
1.	Foreign matter a) Inorganic b) Organic	 1.0 1.0
2.	Damaged, discoloured, sprouted and weevilled grains	5.0*
3.	Immature, Shrunken and shrivelled grains	3.0
4.	Admixture of lower class	6.0
5.	Moisture content	17.0

* Damaged, sprouted and weevilled grains should not exceed 4%.

N. B.

1. The definitions of the above refractions and method of analysis are to be followed as per BIS 'Method of analysis for foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part -I): 1996, IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: Nos.2813-1995, as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as per BIS method for sampling of Cereals and Pulses IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for organic foreign matter, poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.

******

28/9/2020

STANDARDS OF RICE FOR ISSUE TO STATE GOVERNMENTS/ UT ADMINISTRATIONS FOR DISTRIBUTION UNDER TPDS AND OTHER WELFARE SCHEMES.

Guidelines for issue/disposal of wheat and rice have been issued vide Department letter No 8-2/98-DRIII dated 27.01.1998 and 13.111998. Gist of standards of rice for issue to States/UTs for distribution under TPDS_and OWSs along with updated illustrations for KMS 2020-21 is as under:

1. Ready issuable stocks are fit for human consumption which should conform the standards of Food Safety and Standards Act and Rules framed there under.

2. Rice stocks are falling within A, B & C categories (categorization is based on damaged and discolored grains) conforming to food safety norms and free from insect infestation are ready stocks. Ready stocks may be issued under TPDS and OWSs provided the refractions in respect of broken grains, chalky grains, red grains and dehusked grains are upto 20% in excess of the uniform specifications.

Illustration of maximum permissible parameters of ready to issue stocks of rice based on uniform specifications for KMS 2020-21 is as under:

S.No	Refraction		Maximum limit (%) as per uniform specifications for Grade 'A' & Common	Maximum permissible limit (%) for Grade 'A' & Common
1	Damaged/Slightly Damaged/Pin-point Damaged Grains	Raw	3	5
		Parboiled/Single Parboiled Rice	4	5
2	Discolored Grains	Raw	3	7
		Parboiled/Single Parboiled Rice	5	7
3	Broken	Raw	25	30
		Parboiled/Single Parboiled Rice	16	19
4	Chalky Grains	Raw	5	6
5	Red Grains	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	3	4
6	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	13	16
7	Foreign Matter	Raw/Parboiled/Single Parboiled Rice	0.5	1.0

*****

28/9/2020

UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON' RICE (KHARIF MARKETING SEASON 2020-2021)

Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, wholesome, of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, admixture of unwholesome poisonous substances, *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (Khesari) in any form, or colouring agents and all impurities except to the extent in the schedule below. It shall also conform to prescribed norms under Food Safety & Standards Act, 2006/Rules prescribed hereunder,

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions		Maximum Limit (%)	
			Grade 'A'	Common
1.	Brokens*	Raw	25.0	25.0
		Parboiled/single parboiled rice	16.0	16.0
2.	Foreign Matter**	Raw / Parboiled / single parboiled rice	0.5	0.5
3.	Damaged # / Slightly Damaged Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	4.0	4.0
4.	Discoloured Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	5.0	5.0
5.	Chalky Grains	Raw	5.0	5.0
6.	Red Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	3.0	3.0
7.	Admixture of lower class	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	6.0	-
8.	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	13.0	13.0
9.	Moisture content @	Raw/Parboiled/Single parboiled rice	14.0	14.0
10.	FRK (Fortified Rice Kernel)	In case of procurement of fortified rice stock, 1% of FRK (w/w) should be blended with normal rice stock.		

* Not more than 1% by weight shall be small broken.

** Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

\# Including pin point damaged grains.

@ Rice (both Raw & Parboiled/Single Parboiled) can be procured with moisture content upto a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut upto 14%. Between 14% to 15% moisture, value cut will be applicable at the rate of full value.

******

28/9/2020

NOTES APPLICABLE TO THE SPECIFICATION OF GRADE 'A' AND COMMON VARIETIES OF RICE.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Foodgrains" No's IS: 4333 (Part-I):1996 and IS: 4333 (Part- II): 2002 "Terminology for Foodgrains" IS: 2813-1995 as amended from time to time. Dehusked grains are rice kernels whole or broken which have more than ¼th of the surface area of the kernel covered with the bran and determined as follows:-

ANALYSIS PROCEDURE:- Take 5 grams of rice (sound head rice and brokens) in a petri dish (80X70 mm). Dip the grains in about 20 ml. of Methylene Blue solution (0.05% by weight in distilled water) and allow to stand for about one minute. Decant the Methylene Blue solution. Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric acid (5% solution by volume in distilled water). Give a swirl wash with water and pour about 20 ml. of Metanil Yellow solution (0.05% by weight in distilled water) on the blue stained grains and allow to stand for about one minute. Decant the effluent and wash with fresh water twice. Keep the stained grains under fresh water and count the dehusked grains. Count the total number of grains in 5 grams of sample under analysis. Three brokens are counted as one whole grain.

CALCULATIONS:

$$\text{Percentage of Dehusked grains} = \frac{N \times 100}{W}$$

Where, N = Number of dehusked grains in 5 grams of sample

W= Total grains in 5 grams of sample.

2. The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of sampling of Cereals and Pulses" No IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Brokens less than 1/8th of the size of full kernels will be treated as organic foreign matter. For determination of the size of the broken average length of the principal class of rice should be taken into account.
4. Inorganic foreign matter shall not exceed 0.25% in any lot, if it is more, the stocks should be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels having mud sticking on surface of rice, shall be treated as Inorganic foreign matter.
5. In case of rice prepared by pressure parboiling technique, it will be ensured that correct process of parboiling is adopted i.e. pressure applied, the time for which pressure is applied, proper gelatinisation, aeration and drying before milling are adequate so that the colour and cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the grains.

****

28/9/2010

UNIFORM SPECIFICATION FOR MAIZE
(KHARIF MARKETING SEASON 2020-2021)

The maize shall be the dried and matured grain of *Zea mays*. It shall have uniform shape and colour. It shall be in sound merchantable condition and also conforming to prescribed norms under Food Safety & Standards Act,2006/Rules prescribed hereunder.

Maize shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (khesari) in any form, colouring matter, moulds weevils, obnoxious smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below:

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No.	Refractions	Maximum Limits (%)
1.	Foreign matter*	1.0
2.	Other foodgrains	2.0
3.	Damaged grains	1.5
4.	Slightly damaged, discoloured and touched grains	4.5
5.	Shrivelled & Immature grains	3.0
6.	Weevilled grains	1.0
7.	Moisture content	14.0

* Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

N.B.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of Analysis for Foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part-I): 1996 and IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: 2813- 1993 as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of sampling of cereals and pulses' No. IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for foreign matter, the poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra Seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.
4. The small sized maize grains, if the same are otherwise fully developed, should not be treated as shrivelled and immature grains.

******

28/9/2020

पृष्ठ - 14

MOST URGENT

F. No. 8-1/2021-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
(Storage & Research Division)
*****

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 29.09.2021

To,

The Secretary/ Commissioner (Food)

Food & Civil Supplies Department
Government of.....
(All State Governments/UT Administrations)

Sub: Standard Operating Procedure (SOP) of Mixed Indicator Method for determining the age of milled rice stocks during acceptance of CMR Milled Raw Rice for central pool procurement - reg.

Sir,

I am directed to forward herewith the Standard Operating Procedure (SOP) of Mixed Indicator Method that should be followed for determining the age of milled rice stocks during acceptance of CMR Mill Raw Rice for procurement under Central Pool.

2. This method is helpful for the procuring agencies to put a check on possibility of acceptance of old rice in the central pool, hence, along with the various parameters of the Uniform Specifications, SOP of Mixed Indicator Method should also be implemented for determining the age of milled rice stocks during acceptance of CMR Milled Raw Rice for procurement under Central Pool.
3. In context of the above, it is directed that all the States/Union Territories and Food Corporation of India may ensure the strict compliance of all parameters under Uniform Specifications and SOP of mixed indicator testing method during acceptance of CMR Milled Raw Rice for Central Pool Procurement.

Encl: As above

Yours faithfully,

29/9/2021

(Vishwajeet Halder)
Deputy Commissioner (S&R)
Tel: 23384784

Copy to:

1. The Chairman-cum-Managing Director, Food Corporation of India, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi - For implementation
2. The Director, IGMRI, Department of Food and Public Distribution, Hapur

Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
(Storage & Research Division)
*****

SOP of Mixed Indicator Method for age determination of Milled Raw Rice

Background:
As per the policy of Govt. of India for acceptance of CMR in the central pool, consignments are accepted from State Govt. Agencies as well as Rice Millers. As per the instructions a uniform size of lot i.e. 29 MT (580 bags) is offered by the millers at depot points. The consignments are accepted after necessary analysis as per procedure stipulated under IS 4333 with up to date amendments. At present the rice consignments are analysed in terms of FAQ specifications stipulated by the GOI and refractions like moisture content, foreign matter, broken grains, damaged grain, discolored grain, admixture, red grain, chalky grain and dehusked are analysed. Now it is proposed to conduct one more test i.e. mixed indicator method for determination of age of milled rice.

Implementation:
Henceforth all the raw rice consignments shall be subjected to another test i.e. mixed indicator method for determination of age of milled raw rice stocks. As per instructions in vogue, a sample shall be drawn from the offered consignment and analysed in terms of FAQ specifications of GOI. If it is found conforming to the prescribed specifications, the samples would be tested through mixed indicator method. In case the color of the reagent comes out to be green/avocado green, the consignment would be accepted and any other color like yellow, yellow orange & orange would be rejected terming the stock as 'Not freshly Milled'.

Method of analysis:
Materials & Equipment-:

(A) Glass ware
1. Volumetric flasks, amber colored 2 no's of 200ml each
2. Graduated measuring Cylinder (100ml.)
3. Beaker
4. Test tube with stopper (5 no. of 25 ml)
5. Glass stirrer
6. Measuring pipette (2ml)

(B) Apparatus
1. Balance with 0.01 gram accuracy.
2. Test tube rack

(C) Chemical Reagents
1. Methyl red, analytic reagent (0.05 gram/depot)
2. Bromothymol blue, analytic reagent (0.15 gram/depot)
3. Ethyl alcohol, Absolute Grade (75 ml/depot)
4. Distilled water (10.00 litres)

Preparation of stock solution

1. Weigh 0.05 gram of methyl red and 0.15 gram of bromothymol blue.
2. Dissolve the above indicators in 75 ml ethyl alcohol and add distilled water to make 100 ml.
3. Store in a cool and dark place and in an amber colored flask.

Preparation of working solution

Take an aliquot of stock solution and dilute with distilled water in the volume ratio 1:50. The prepared solution preferably be consumed in same or next day. Accordingly, working solution be prepared keeping in view of number of raw rice samples to be tested.

Procedure for staining method using pH indicators (working solution)

1. Weigh 5 grams of the raw rice sample.
2. Place the sample in the test tube.
3. Add 10 ml of pH indicator (working solution) and shake well for one minute.
4. Note the resulting color of solution (whether green/avocado green/yellow/yellow orange/orange).

Interpretation of Test Results:

	Color Change	As per standards	Result
Samples subjected to mixed indicator method	Green	Freshly milled stocks	Accepted
	Avocado Green		
	Yellow	Old Stock	Not to be accepted
	Yellow Orange		
	Orange		

Precaution:

1. Keep away the chemicals from face due to volatile nature of alcohol.
2. Avoid contact of the chemicals from eye, nose and skin.

Appeal Procedure:

Normal appeal procedure would be followed in case of rejection of consignment through this method.

Colour Coding for different age groups of rice:

Age of Rice in Months	Resulting color of Solution
0 Month	GREEN
1 Month	AVOCADO GREEN
2 Months	AVOCADO GREEN
3 Months	YELLOW
4 Months	YELLOW ORANGE
5 Months	ORANGE
6 Months	ORANGE

परिशिष्ट -5

छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,

गोदाम क्षमता की कमी होने की स्थिति में चावल उपार्जन हेतु जिलों के संलग्नलीकरण की जानकारी

S no.	गोदाम	गोदाम जिस जिले के लिए उपार्जन किया जाता है	गोदाम जिस जिले में स्थित है
1	खरसिया	जांजगीर–चांपा	रायगढ
2	अकलतरा	कोरबा	जांजगीर–चांपा
3	कोडिया	बेमेतरा	दुर्ग
4	करंजा भिलाई	बेमेतरा	दुर्ग
5	लटोरी	बलरामपुर	सूरजपुर
6	आर बी गोदाम	बलरामपुर	सूरजपुर
7	पत्थलगांव	सरगुजा	जशपुर
8	गीदम	जगदलपुर	दंतेवाडा

परिशिष्ट-(6)

File No.192(14)/2018-FCA/cs

No. 192(14)/2018-FC A/cs
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & PD
Department of Food and PD

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 06/05/2019

To,

1. The Principal Secretary/Secretary
   All State Governments/UTs
2. The CMD, FCI, New Delhi.

क्रमांक 49 सचिव, खा.ना.आ.एवं उ.सं. दिनांक 15/05/201

Subject : Principles on transportation charges of paddy/CMR and wheat from KMS 2019-20 onwards in DCP (including Central Pool) & Non-DCP States regarding.

Sir,

With a view to simplifying the existing principles on transportation charges for paddy, CMR and wheat in the DCP(including Central Pool) and non-DCP States by harmonising them with the practical challenges faced by the agencies carrying out these operations, in supersession of the existing principles for the fixation of transportation charges for finalization of economic cost of paddy /Rice and Wheat, the following guidelines are issued to come into effect from KMS 2019-20 onwards:

I. There shall be a State Level Committee (SLC) with the State Food Secretary concerned as the Chairperson and ED, FCI and GM/FCI in-charge of the state concerned, two District Collectors from any of the procuring districts, and an officer from State Transport Department not below the rank of Deputy Secretary level officer as members.

II. For every state, a Schedule of Rates (SoR) for transportation charges shall be finalized by the SLC based on market survey. The SoR shall remain in force for a maximum of two years.

III. Competitive bidding, preferably through e-tendering, is to be done for finalizing transportation rates at the district level.

IV. The SLC shall examine the transportation rates finalised by the districts with reference to the SoR and decide the acceptability of the rates, taking into account the provisions of GFR. In the cases where the rates accepted show a major deviation from the SoR, the reasons for acceptance or rejection must be recorded in the minutes of the meeting of the SLC.

V. In case, there is a difference of opinion between State and FCI representatives in the SLC on the admissibility of the transportation charges for a district or more than one district, the matter shall be referred to CMD, FCI for decision, which must be communicated within two weeks of receiving the reference; and the decision of CMD, FCI shall be final.

VI. All the districts across the states shall follow uniform distance slabs: from 0 upto 8 kms, from 8 upto 20 kms, from 20 upto 40 kms, from 40 upto 80 kms and above 80 kms

आवक क्रमांक 617 संयुक्त सचिव/खाद्य/20

क्रमांक 1267 विशेष सचिव/खाद्य/2045

VII. The SLC shall finalise the standard bid document for the fixation of transportation charges, to be followed by all the districts in the State.

VIII. FCI should strive to ensure that the bidding document for the fixation of transportation charges is standardised across the States; and should also undertake a review of the state-wise transportation charges at the end of every marketing season.

IX. The principles mentioned above shall be applicable to the transportation of paddy from procurement centres to the rice mills, and of CMR from rice mills to the storage points, and of wheat from procurement centres to the storage points at the acquisition stage. At the distribution stage, these rates will be applicable for transporting CMR and wheat from storage points to the designated depots of the State only.

2. This issues with the approval of Hon'ble Minister for CAF&PD.

Yours faithfully,

(V.C. Sudeesh)
Director
Tel. No. 011-23382709

Copy to:

1. PPS to Secretary, FPD
2. PPS to AS&FA, FPD
3. PPS to Pr. Advisor(Cost)
4. PPS to JS(P&FCI)
5. PS to Director (FC Accounts)/Director(Finance & Budget)/ Director(Cost)/ Director(FCI)